

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9211/2022 M/s ANGEEL OAK Speciality Chemtech Pvt. Limited, 218, Shekhar Central, 4-5, Manoramaganj, Near Palasia Square, Dist. Indore, MP - 452001, Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & API Intermediates (Production Capacity – 1839 MTPA, By Product – 385.69 MTPA) at Plot No. 59, 60, 61, & 63, Industrial Area, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Dist. Ujjain (MP). Env. Consultant - M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.**

This is case of Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & API Intermediates Cat.5-f, at Plot No. 59, 60, 61, & 63, Industrial Area, DMIC Vikram Udyogpuri Limited, Dist. Ujjain (MP). Hence requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site. The application was on-line forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 579<sup>th</sup> SEAC dated 17/06/2022 wherein ToR was recommended and issued vide letter NO. 974-75, dated 08/07/22.

PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line which was accepted by SEAC on dated 01.12.2022 and the same was scheduled in the agenda.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Manish Chandekar (Online) & Ms. Vasanti Tapadia, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Shri Dileep Narwadia Factory Manager, during presentation following details were provided.

- M/s Angeel Oak Speciality Chemtech Pvt. Ltd. (AOSCPL) is proposed to establish a manufacturing facility to produce Active Pharmaceutical Ingredients and API Intermediates with their proposed Capacity of APIs 1839 MTPA at Plot No 59, 60, 61 & 63 DMIC (Delhi-Mumbai Industrial Corridor) Vikram Udyogpuri Dist.- Ujjain (M.P.) Project cost is INR 70 crores
- Our mission is to support Indian API manufacturers by supplying world-class quality API and API intermediates and API also, our mission is expected to reduce the dependency of the Indian API industry on Imports and make a small contribution towards the mission of “ATMANIRBHAR BHARAT”.

Required Details	Project Details
Land acquired	63144.92 Sq meters
Production Capacity	1839 MTPA (Proudcts)
Cost of Project	70 Crore
Power Requirement	1000 KW
Alternative Source of Power (D.G. Sets)	600 KVA (2Nos.)
Water Requirements	273 KLD (Water Connection of 300 KLD from DMIC)
Waste water generation	103 KLD
Boiler	3 Tons (1Nos)
Thermic Fluid Heater	6 lakh Kcal. ( 1 Nos.) 10 lakh Kcal. (1 Nos.)
Plantation (Green belt Development)	20837.8 Sq meters
ETP	Applied for CETP Membership OR In-house ZLD Based ETP followed by MEE & ATFD – 120 KLD (70KLD ETP + 50 KLD MEE ,ATFD)
Scrubber	3000 Lt. – 04 Nos. (Multi Stage Scrubber) 1000 Lt. – 02 Nos. (Single Stage Scrubber)
EMP cost (capital)	476.70 Lacs
EMP cost (Recurring)	40.3 Lacs
CER	140 Lacs

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

**List of proposed EC product details are as given below:**

Index	List of Finished Products	Quantity MTPA
<b>A</b>	<b>Products</b>	
1	Ortho fluoro Aniline	135
2	Para fluoro Aniline	134
3	2,4 Dichlorofluoro Benzene	200
4	1,3 Difluoro benzene	150
5	5 Nitro Salicylic Acid	180
6	Para fluoro anisole	100
7	Para fluoro Phenol	89
8	HexaFluoro Iso propyl methyl ether	483
9	Celecoxib	60
10	2,4 Di fluorobenzyl amine	60
11	1 Fluoro Naphthalene	60
12	3,5 Difluoro aniline	50
13	Para fluoro benzoic acid	138
	<b>Total</b>	<b>1839</b>

## RAW MATERIALS

Sr. No.	Raw Materials	Quantity MTPA
1.	Nitrobenzene	1591.72
2.	Toluene	404.26
3.	Para Chloro Benzoic Acid	154.32
4.	Ortho Amino Benzoic Acid	140.83
5.	2-Chloro Benzoic Acid	140.04
6.	Para Di chloro Benzene	265.43
7.	Para Nitro chloro Benzene	203.22
8.	Salicylic Acid	136.02
9.	4,4,4-Trifluoro-1-(4-methylphenyl) butane-1,3-dione	40.24
10.	4-Sulfonamidophenylhydrazine hydrochloride	42.44
11.	Hexa Chloro Acetone	704.56
12.	1-Naphthylamine	81.00

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

13.	Aniline	211.06
14.	Dimethyl Sulphate	279.64
15.	2, 4 Di chloro benzonitrile	76.00
16.	Bromine	292.13

PP further submitted that our ZLD based ETP is designed for effluent quantity of 120 KLD (70KLD of ETP + 50 KLD of MEE) which is more than the worst case scenario of 103 KLD. We will take the Hazardous Waste Authorisation of 279 MTPA i.e. 930 kg/Day under category 28.1 for which we are generating 924.98 Kg/Day and we will install 4 Scrubbers with the Capacity of 3KLD each for the production process and 2 Scrubbers with capacity of 1 KL each for Storage area.

After deliberations and presentation, submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of Prior Environment Clearance for proposed Manufacturing of API & Pharmaceutical Intermediates Product at ANGEEL OAK SPECIALITY CHEMTECH PVT. LTD., at Plot no. 59, 60, 61 & 63, DMIC Vikram Udyogpuri, Dist. Ujjain (M.P.) [Production Capacity – 1839.0 Tonnes per Annum] as per the details given below and subject to the following special conditions:

Index	List of Finished Products	Quantity MTPA
<b>A</b>	<b>Products</b>	
1	Ortho fluoro Aniline	135
2	Para fluoro Aniline	134
3	2,4 Dichlorofluoro Benzene	200
4	1,3 Difluoro benzene	150
5	5 Nitro Salicylic Acid	180
6	Para fluoro anisole	100
7	Para fluoro Phenol	89
8	HexaFluoro Iso propyl methyl ether	483
9	Celecoxib	60
10	2,4 Di fluorobenzyl amine	60
11	1 Fluoro Naphthalene	60
12	3,5 Difluoro aniline	50
13	Para fluoro benzoic acid	138
	<b>Total</b>	<b>1839</b>

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

**(A) Statutory compliance:**

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

**(B) Air quality monitoring and preservation**

1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

S.No.	HEAD	Details		
1	Capacity	3 TPH with 6 & 10 Kcal Each		
2	Boiler and Thermic Fluid Heater	1 + 2		
3	Fuel Type	LPG	PNG	DIESEL
4	Qty of fuel used per hr.	LPG - 276 Kg/hr	PNG - 353 Kg/hr	DIESEL - 267 Kg/hr

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

5	Diameter of Stack	450mm		
6	Height of Stack	30 m		
7	Temp of exit gas	130°C	140°C	400°C
8	Velocity of exit gas	10.08 m/s	12 m/s	20 m/s
9	NOx emission rate	0.0352mg/ m <sup>3</sup>	0.0358mg/ m <sup>3</sup>	0.48 mg/ m <sup>3</sup>
10	PM-Total emission rate	0.12mg/m <sup>3</sup>	0.13mg/m <sup>3</sup>	0.42 mg/m <sup>3</sup>
11	CO2 emission rate	2200 mg/m <sup>3</sup>	2200 mg/m <sup>3</sup>	3150 mg/m <sup>3</sup>
12	Air pollution control equipment	Scrubber	6 nos.	

4. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
5. The DG sets (2 x 600 kVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
6. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
7. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

### (C) **Water quality monitoring and preservation**

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
2. Zero Liquid Discharge Through 120 KLD of ETP (70 KLD ETP + 50 MEE & ATFD) and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
3. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
4. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.

5. Total fresh water requirement shall not exceed 200 KLD and as proposed, in case, if in-house bore or tube well is required, than CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
6. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
7. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.
8. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

**(D) Noise monitoring and prevention**

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (2 x 600 kVA) for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

**(E) Energy Conservation measures**

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The total power requirements for project will be 1000KW.
3. The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.

**(F) Waste management**

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as follows:

S.No.	Name of the Waste	Category	Qty(MTPA)	Disposal Mode
1.	Used/spent oil	5.1	0.5	Authorized Recycler & TSDF
2.	Wastes/residues containing oil	5.2	0.5	Authorized Recycler & TSDF
3.	Contaminated aromatic, aliphatic or naphthenic solvents not fit for originally intended use	20.1	24	Authorized Recycler & TSDF
4.	Spent solvent	21.2	1	Authorized Recycler & TSDF
5.	Spent catalyst	28.2	12	Authorized Recycler, Co processing & TSDF
6.	Spent carbon	28.3	5	Authorized Recycler, Co processing & TSDF
7.	Off specification products	28.4	5	Authorized Recycler & TSDF
8.	Date - expired products	28.5	1	TSDF
9.	Spent solvents	28.6	300	Authorized Recycler
10	Empty barrels/containers/liners contaminated with hazardous chemicals /wastes	33.1	8	Authorized Recycler
11	Contaminated cotton rags or other cleaning materials	33.2	1	Authorized Recycler & TSDF
12	Chemical-containing residue arising from decontamination.	34.1	5	Authorized Recycler, Co-processing & TSDF
13	Exhaust Air or Gas cleaning residue	35.1	1	Authorized Recycler & TSDF
14	Spent ion exchange resin containing toxic metals	35.2	3	Authorized Recycler, Co-processing & TSDF
15	Chemical sludge from waste water treatment	35.3	900	Authorized Recycler, Co processing & TSDF
16	Oil and grease skimming	35.4	1	Authorized Recycler & TSDF
17	Process Residue and wastes	28.1	279	Authorized Recycler & TSDF
18	Process Residue and	28.1	1396.43	It will be sold off to Authorized



**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

	wastes – Spent H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>			Recycler / TSDF
19	Process Residue and wastes – Spent HCL	28.1	2167.1	It will be sold off to Authorized Recycler / TSDF
20	Process Residue and waste – Bromine	28.1	292.13	Reutilize within the process / Authorized recycler /TSDF

3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.

**(G) Green Belt**

1. Total 2000 trees shall be planted in the area of 20837.80 m<sup>2</sup> (33 % of total plot area) which is developed as greenbelt development.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

2. Plantation details are as given below:-

Description	Qty.	Location
Neem	250	Boundary Wall
Putran Jeeva	250	Boundary Wall
Amaltash	250	Road Main Gate - Admin Block
Peepal	250	Boundary Wall
Jamun	250	Around the water channel present at the project site.
Bakul	250	Around the water channel present at the project site.
Karanj	250	Around the water channel present at the project site.
Ashoka Tree	250	Around Admin Block, lawn and around boundary limit (backside of the site)
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>	

3. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
4. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the presentation 2.86 Hect. area which will be 33% of total land area of project. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

### **(H) Safety, Public hearing and Human health issues**

- Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
- The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

### (I) EMP & Corporate Environment Responsibility

1. The proposed EMP cost is Rs. 517.00 lakhs and 40.30 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 1.0 lakhs and Rs. 25.0 lakhs is proposed for green belt development.
2. Under CER activity, capital cost is Rs. 140.00 lakhs proposed for following different activities.

<b>CORPORATE ENVIRONMENT RESPONSIBILITY</b>		<b>RS in Lakhs</b>
1	Corporate Environment Responsibility in School Infrastructure (Solar Panel, Water RO, toilets, benches etc.) - Kawadi government School, Gawdi Primary Government School, Govt. M.S. Munjakhedi, Govt. Primary School karcha and Infrastructure development for Aanganbadi (Kawadi, Narvar, Piploda)	30 Lakhs
2	Solar cooker/ cylinders under UjjawalaYojna provision for camping labours of entire area	20 Lakhs
3	Plantation activities in nearby area ,on the bank of Kshipra river through DFO and amount be transferred to account given by DFO concern	50 Lakhs
4	Medical checkup camps, vaccination camps for nearby villages	20 Lakhs
5	Medical Equipments for rural area	20 Lakhs
	<b>Total</b>	<b>140 lakhs</b>

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

3. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
4. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
5. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly report to the head of the organization.
6. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
8. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

**X. Miscellaneous**

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**2. Case No 7947/2020 Shri Naval Singh Baghel S/o Shri Lalta Prasad Baghel, Village - Hiwala, Post - Mandla, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda, MP – 461441 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.60 ha. (9938 cum per annum) (Khasra No. 3/1/KH), Village - Bamhangaon, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP).EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/1/KH), Village - Bamhangaon, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP) 1.60 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 8614 dated: 14/5/2020 has reported that there are 01 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 6.025 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 469<sup>th</sup> SEAC dated 17/12/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report vide letter dated 6/7/21 which was forwarded through SEIAA vide letter no. 1390 dated 12/07/21 and the same was scheduled in the agenda. PP and their consultant presented EIA in 504<sup>th</sup> SEAC meeting dated 23/07/2021 before the committee and recommendation was sent to SEIAA. सिया की 682वीं बैठक दिनांक 26/08/21 को सेक की 504वीं बैठक दिनांक 23/07/21 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन (ई.आई.ए.) का निरस्त किया गया था, जिसकी सूचना सिया के पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 14/09/21 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को दी गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 30/05/22 के माध्यम से माननीय ए.जी.टी. के आदेश के परिपालन में नो ब्लास्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत संशोधित ई.आई.ए. रिपोर्ट मय संशोधित खनन योजना के साथ पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन सिया के समक्ष किया गया था । सिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 22/06/22 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्तानसार माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण (7947/2020) पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. एवं पुनरीक्षित खनन योजना (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) का परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें तथा उक्त आवेदन को पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15/11/22 को पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया, जो सिया द्वारा दिनांक 22/11/22 को स्वीकार कर सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया है।

आज दिनांक 08/12/22 को प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि सिया ने पत्र क्रमांक 819 दिनांक 22/06/22 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया है कि प्रकरण क्रमांक 7947/2020 पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. एवं पुनरीक्षित खनन योजना (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) का परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें तथा उक्त आवेदन को पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन आवेदन ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15/11/22 सिया द्वारा दिनांक 22/11/22 को स्वीकार कर सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया है जो पुराने नम्बर से (7947/2020) ही स्वीकार होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 200 मीटर पर आबादी, पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी है, दक्षिण पूर्व दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित अपलोडेड ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं खनन योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है तथा खनन हेतु जैक हैमर / रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी के कारण 30 मीटर का सेटबैक तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ के कारण 7.5 मीटर के बेरियर जोन में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर एक मकान है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनका स्वयं का मकान है जो खनन दौरान मजदूरों के आराम एवं साईट ऑफिस के रूप में उपयोग किया जायेगा जिस बाबत उन्होंने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बम्हनगांव ने पत्र दिनांक 21/5/22 के माध्यम से प्रमाणित किया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबैक छोड़ने के बाद करीब 1.00 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होगा जो 9938 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु पर्याप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा घाना बाबा मंदिर में टीन सेट को निर्माण तथा स्कूल में स्पोर्ट्स किट का वितरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई. आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। समिति ने चर्चा कर अनुशंसा की कि खनन क्षेत्र के बाहर स्थित नोटिस बोर्ड पर यह उल्लेखित किया जाये कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा तथा ब्लास्टिंग का उपयोग नहीं किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 9,938 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 09.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.82 लाख प्रति वर्ष।

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.83 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
धाना बाबा के चबूतरे पर टीन की छांव तथा 04 पंखों की भी व्यवस्था कराई जायेगी।	45,000 /—
ग्राम बम्हानगांव के प्राथमिक विद्यालय में 05 पंखे का वितरण किया जायेगा।	8,000 /—
ग्राम बम्हानगांव के प्राथमिक विद्यालय के 85 बच्चों में पीटी शूज और मोजे का वितरण किया जायेगा।	30,000 /—
योग	83,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, कंरज, खमेर, , अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, कंरज, गुलमोहर महुआ इत्यादि।।	250
3	ग्राम बम्हानगांव के प्राथमिक विद्यालय	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार गुलमोहर इत्यादि।	10
4	बम्हानगांव ग्रामवासीयो में वितरण	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, मूनगा, इत्यादि।	1240
कुल			2000

3. **Case No 8691/2021 M/s Shiv Grit Udyog, Shri Kushalpal Singh, R.G. No. 80, 82, Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 2330, 2332), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar , Dist. Chhatarpur (MP). Env. Consultant M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida, U.P.**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2330, 2332), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar , Dist. Chhatarpur (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 518वीं दिनांक 18/10/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

**4. प्रकरण क्रमांक 9048/2022 - श्री अंकित गुप्ता, लीज ओनर, निवास रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 83, 84/1, 103/1 रकबा 02.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन - 7,980 मी.<sup>3</sup> ग्राम पीपलदेहला तहसील एवं जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 83, 84/1, 103/1 रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम पीपलदेहला तहसील एवं जिला झाबुआ (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अंकित गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान शासकीय भूमि पर है तथा पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कुल 09 पेड़ हैं जिसमें कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा क्योंकि सभी पेड़ बेरियर जोन में हैं। पूर्व दिशा में खदान के अंदर शेड, उत्तर दिशा में 80 मीटर पर पक्का रोड़ व खदान क्षेत्र में एक माइंड आउटपिट है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि माइंड आउटपिट काफी पुराना है जो पूर्व में संचालित खदान का है जिसकी अवधि समाप्त हो गई है तथा उनको खदान 02/12/21 को आवंटित हुई है और माइंड आउटपिट को अनुमोदित खनन योजना के सरफेस मैप पर दिखाया गया है। उत्तर दिशा में 80 मीटर पर पक्का रोड़ बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है किंतु उनके द्वारा ऑन लाईन शपथ पत्र दिनांक 18/11/22 प्रस्तुत किया गया है जिसमें खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से करने का वचन दिया है



## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

तथा 20 मीटर का सेटबेक प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. /सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा, खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा तथा गांव के लोगो हेतु हैंड पंप के माध्यम से जल प्रदाय की व्यवस्था का प्रस्ताव सी.ई.आर. में दिया गया है। समिति ने चर्चा कर अनुशंसा की कि खनन क्षेत्र के बाहर स्थित नोटिस बोर्ड पर यह उल्लेखित किया जाये कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा तथा ब्लास्टिंग का उपयोग नहीं किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 7,980 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु.में)
ग्राम पिपलदेहा के शासकीय प्रथमिक शाला में एक हैंड पंप की स्थापना कराई जायेगी ।	60,000 / –

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिस्सू, करंज, सीताफल, चिरौल, बरगद, कस्टार खमेर, उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ इत्यादि ।	740
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, सेमल, करंज, उपलब्ध स्थानीय प्रजातियाँ ।	123
3	शासकीय विद्यालय पिपलदेहा	कदम्ब, अमलतास, सीताअशोक, करंज नीम, कचनार, गुलमोहर इत्यादि ।	10
4	ग्रामवासी पिपलदेहा, मोहनपुरा, देवझारीपंडा, गदवाडी को ग्रामवासी में बांटे जाएंगे ।	बेल इमली, आवंला, कठहल, आम, अमरुद, अन्य फलदार प्रजातियाँ ।	1527
कुल			2400

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

5. **Case No 9438/2022 M/s Deep Shree Infra Pvt.Ltd., Director Shri Liladhar S/o Shri Kishanlal verma R/o 6 Jawahar Tekri, Dhar Road, Disrict Indore (MP)-452002, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone 12000 Cum per year & M-Sand 12000 Cum per year) (Khasra No. 33/1/4/3/1), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP)**

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 33/1/4/3/1), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री लीलाधर वर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1855 दिनांक 26/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 130 मीटर पर तथा पूर्व दिशा में 475 मीटर पर क्रमशः पक्की रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर पश्चिम दिशा में 430 मीटर पर आबादी तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 150 मीटर पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। इसी प्रकार इंदौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी तक अनुमोदित नहीं हुई है किंतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान के विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पेज न.38 के सरल क्रमांक 08 पर दर्शित है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित इस स्थल की लोकेशन त्रुटि पूर्ण है क्योंकि जो लोकेशन ऑन लाईन अपलोड की गई है वह बदल गई है तथा उसके अनुसार माइन प्लान में भी संशोधन किया जा रहा है। समिति ने चर्चा कर निर्णय लिया कि चूंकि प्रस्तावित स्थल ही चिह्नित नहीं है अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर विचार किया जाना अनुशासित नहीं है। अतः प्रकरण निरस्तीकरण की अनुशंसा के साथ आगामी कार्यवाही हेतु सिया को प्रेषित किया जाये।

6. **Case No 9440/2022 M/s Deepak Tradars Prop. Shri Devendra Raghuwansi R/o 193, Vishvanath Dham Colony, District Indore (MP)-452010, Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 2.00 ha. (15000 Cum per year) (Khasra No. 754), Village - Jamgod, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas (MP)**

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 754), Village - Jamgod, Tehsil - Dewas, Dist.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

Dewas (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री देवेन्द्र रघुवंशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2704 दिनांक 10/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 130 मीटर पर शेड, दक्षिण-पूर्व दिशा में 300 मीटर पर शेड, दक्षिण दिशा में 290 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पूर्व दिशा में 740 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरुम का होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 2702 दिनांक 10/10/22 के द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम जामगोद तहसील एवं जिला देवास के खसरा 754 कुल रकबा 2.00 हे. क्षेत्र पर स्वीकृत मुरुम उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश दिनांक 22/09/22 से सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है। नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट सिया से अनुमोदित की जा चुकी है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया (उत्खनि पट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण दिशा में 130 मीटर पर शेड, दक्षिण-पूर्व दिशा में 300 मीटर पर शेड, दक्षिण दिशा में 290 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा पूर्व दिशा में 740 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आंवटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें ।

**7. Case No 9450/2022 Shri Virdiya Dhawal Kumar R/o Atithya Park, Infront of Sharma Hotel, District Vadodara, (Guj.) -390024, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 12.00 ha. (2,99,250 Cum per year) (Khasra No. 10/1/1/ka), Village - Dhabaipada, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 10/1/1/ka), Village - Dhabaipada, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 12.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री बरदिया धवल कुमार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1920 दिनांक 02/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 135 मीटर पर प्राकृतिक जलमार्ग तथा 430 मीटर स्टॉपडेम, उत्तर दिशा में 65 मीटर पर पक्की रोड़ तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 340 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपालोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान का विवरण दर्ज नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण दिशा में 135 मीटर पर प्राकृतिक जलमार्ग तथा 430 मीटर स्टॉपडेम, उत्तर दिशा में 65 मीटर पर पक्की रोड़ तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 340 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
5. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें।
10. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगा। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

**8. Case No 9442/2022 M/s Vikash Minerals, R/o A-10, Laxmi Narayan State, Rewa Road, Tehsil Raghurajnagar, District Satna (MP)-485001 Prior Environment Clearance for Laterite & Ocher Deposit in an area of 11.295 ha. (Laterite -1,90,000 TPA, Ocher 7408 TPA) (Khasra No. 90, 88/1ka, 88/1kha-2, 88/1kha-3, 88/1kha-4, 88/2 and 90), Village - Amriti, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)**

This is case of Laterite & Ocher Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 90, 88/1ka, 88/1kha-2, 88/1kha-3, 88/1kha-4, 88/2 and 90), Village - Amriti, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 11.295 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष दुबे (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 13/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है। चूंकि प्रस्तावित खदान का कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 260 मीटर पर, पश्चिम दिशा में 300 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 120 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। इसी प्रकार खदान के बीचोबीच से एक पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना मय सेटबैक के ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1961 दिनांक 14/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022-23 में बनी है, जिसमें ग्राम अमिरती है। उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया (उत्खनि पट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेगा। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्व दिशा में 260 मीटर पर, पश्चिम दिशा में 300 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 120 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. खदान के बीचोबीच से एक पक्का रोड़ निकल रहा है, अतः इनकी संरक्षण योजना मय सेटबैक के ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. चूंकि आवंटित स्थल का कुछ भाग पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें।
12. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगे। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें।

**9. Case No 9446/2022 M/s Bansal Khanij Udyog, Prop. Shri Ramchandra Bansal R/o Ward No.8 In front of Agarwal Dharamsala, Jaitwara, District Satna (MP) Prior Environment Clearance for Ocher Quarry in an area of 10.683 ha. (83074 TPA) (Khasra No. 04), Village - Jamuwani, Tehsil - Birsinghpur, Dist. Satna (MP)**

This is case of Ocher Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 04), Village - Jamuwani, Tehsil - Birsinghpur, Dist. Satna (MP) 10.683 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामचंद्र बंसल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1625 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, चूँकि प्रस्तावित खदान का कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है, जिसके अंदर पहाड़ के शिखर पर एक मंदिर (मुंडा माता जामवानी) स्थापित है तथा मंदिर तक का पहुँच मार्ग भी दृष्टिगत हो रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना तथा मंदिर की सुरक्षा हेतु आमजन के सुझाव/आपत्ति प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। आवंटित खनन क्षेत्र की पश्चिमी सीमा से 05 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 16 मीटर के दूरी पर एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित 10.00 हे. क्षेत्र में से खनन कार्य मात्र 04-05 हे. क्षेत्र में ही किया जाना प्रस्तावित जो पहाड़ के नीचे की ओर (फुटहिल) स्थित है जिसके संदर्भ समिति ने निर्देशित किया कि परियोजना प्रस्तावक स्टेबिलिटी स्टडी करवा कर रिपोर्ट ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करेंगे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-170 के सरल क्रमांक-162 पर दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान पहाड़ी पर स्थित है, जिसके अंदर पहाड़ के शिखर पर एक मंदिर (मुंडा माता जामवानी) स्थापित है तथा मंदिर तक का पहुँच मार्ग भी दृष्टिगत हो रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना तथा मंदिर की सुरक्षा हेतु आमजन के सुझाव/आपत्ति प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. आवंटित खनन क्षेत्र की पश्चिमी सीमा से 05 मीटर की दूरी पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
3. आवंटित खनन क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 16 मीटर के दूरी पर एक कच्चा रास्ता निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
4. आवंटित 10.00 हे. क्षेत्र में से खनन कार्य मात्र 04-05 हे. क्षेत्र में ही किया जाना प्रस्तावित जो पहाड़ के नीचे की ओर (फुटहिल) स्थित है जिसके संदर्भ समिति ने निर्देशित किया कि परियोजना प्रस्तावक स्टेबिलिटी स्टडी करवा कर रिपोर्ट ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके



## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

8. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
9. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
12. ओव्हर बर्डन, स्वाइल वॉटर कंजरवेशन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
13. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
14. परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट बनाये, जिसमें ई.सी. प्राप्ति के पश्चात् पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तथा वृक्षारोपण इत्यादि के संदर्भ में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन उसमें अपलोड करेंगे। परियोजना प्रस्तावक वेबसाइट बनाये जाने संबंधी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट साथ प्रस्तुत करें ।

**10. Case No 9445/2022 M/s Sky Light Infrastructure, Partner Shri Pawan Kumar Tiwari Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (49875 Cum per year) (Khasra No. 33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/ka, 42/1, 42/3/ka, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2 & 26/1), Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 33/1/3, 33/1/6, 33/1/2, 24/2/ka, 42/1, 42/3/ka, 44/1, 45/1, 42/2, 44/2, 45/2 & 26/1), Village - Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार तिवारी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 15 मीटर पर कुछ मकान तथा उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/2022 वन क्षेत्र 252 मीटर दूर है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराते हुए जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, सागर के पेज नं.-80 के सरल क्रमांक-36 पर दर्ज है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का नियमानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा नहीं। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर आबादी, दक्षिण दिशा में 15 मीटर पर कुछ मकान तथा उत्तर दिशा में 40 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2596 दिनांक 29/08/2022 वन क्षेत्र 252 मीटर दूर है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशंसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 225 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराते हुए जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित स्थल बाघ का भ्रमण क्षेत्र नहीं है संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित वन मंडलाधिकारी से प्राप्त कर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आंशिक खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आंशिक खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. चूँकि आंशिक स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

**11. Case No 9421/2022 Shri Sarang Patil, Owner C/o Devilal Patil, H.no. 593/1, Kharkalan, District Khandwa (MP)-450001 Prior Environment Clearance for Stone – 15,000 Cum per year & M-Sand– 15,000 Cum per year in an area of 2.920 ha. (Total - 30000 Cum per year) (Khasra No. 275), Village - Chichgohan, Tehsil - Khandwa, Dist. Khandwa (MP)**

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 275), Village - Chichgohan, Tehsil - Khandwa, Dist. Khandwa (MP) 2.920 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक अदित्य पाटिल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, मेसर्स अमलतास इन्वायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम हरियाणा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में पूर्व उनके द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर को अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एकीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 07/11/22 को समाप्त हो चुकी थी और मेरे प्रोजेक्ट में बिलंब न हो, इस दृष्टिकोण से मेरे द्वारा मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स अमलतास इन्वायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम हरियाणा से अनुबंध किया गया है, जिसकी सूचना सिया एवं सेक को दिनांक 30/11/22 को ई-मेल कर दिया गया है, जो प्रस्तुतीकरण

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

में दिया गया है । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 762 दिनांक 03/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 650 मीटर पर नदी है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर पश्चिम दिशा में जो कच्चा रोड़ दिख रहा है वह उनकी खदान तक का पहुंच मार्ग है तथा नदी के संरक्षण हेतु गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि व्ही.एस.के. तकनीकी आधारित एम.सेंड प्लांट स्थापित किया जायेगा तथा दूषित जल का सेटलिंग पश्चात् पुर्न-चक्कीकरण किया जायेगा तथा निकलने वाले स्लज को सुखा कर खनन क्षेत्र में अपवहित किया जायेगा । एकल प्रमाण-पत्र 762 दिनांक 03/10/2022 अनुसार प्रस्तावित उत्खनिपट्टें आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन –15,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष एवं एम-सेंड – 15,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.91 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.01 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला चिचगोहन में 2 0बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000
ग्राम चिचगोहन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2920 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	--------------------------------	---------------------	---------------------

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सीताफल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	225
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु ग्राम) पंचायत चिचगोहन)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
5.	ग्राम पंचायत चिचगोहन के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हरी, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
6.	ग्राम पंचायत चिचगोहन के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	495
कुल			2920

### 12. Case No 9435/2022 Shri Arif, R/o Village Khadakvani, Tehsil Kasrawad, District Khargone (MP)-451660, Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 2.00 ha. (9000 Cum per year) (Khasra No. 157), Village - Khadkel, Tehsil - Kasrawad, Dist. Khargone (MP)

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 157), Village - Khadkel, Tehsil - Kasrawad, Dist. Khargone (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आरिफ खान (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8764 दिनांक 02/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड, पूर्व दिशा में 70 मीटर पर तथा उत्तर दिशा में 05 मीटर पर नहर है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व दिशा से 30 मीटर तथा उत्तर दिशा से 95 मीटर का नॉन माईनिंग जोन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि प्रकरण मुरुम खनन का है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 85 मीटर पर

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा से 95 मीटर का नॉन माईनिंग जोन प्रस्तावित करने के कारण यह आबादी खनन क्षेत्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर हो जाती है तथा संशोधित मेप प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 8762 दिनांक 02/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हो चुकी है। उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक मंजूरी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित होने के पश्चात् जारी हुई है, जिससे की उक्त मुरम उत्खनिपट्टा को डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उक्त मुरम उत्खनिपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुरम – 9,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.37 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.61 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम खडकेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 फोल्डेबल व्हील चेयर्स एवं 1 बेड उपलब्ध करवाए जायेंगे।	30,000.

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	800
2	परिवहन मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 400 मीटर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, करंज,	300

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

	तक (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	
3	ग्राम खडकेल के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवला आदि।	50
4.	खदान में प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र में ;5500 वर्ग मीटरद्ध	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	600
5.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन आदि।	650
<b>कुल</b>			<b>2400</b>

**13. Case No 9443/2022 Shri Shailesh Pankar, Owner R/o Chandrashekhar Ward Sadar Betul, District Betul (MP)-460001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry 12001 Cum per year and Murrum 3624 Cum per year in an area of 1.651 ha. (Khasra No. 184/3), Village - Jagdhar, Tehsil - Betul, Dist. Betul (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 184/3), Village - Jagdhar, Tehsil - Betul, Dist. Betul (MP) 1.651 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेश पनकर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1622 दिनांक 03/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत हैं, जिसकी अवधि दिनांक 24/11/10 से 23/11/20 तक स्वीकृत थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसका नवीनीकरण आवेदन नहीं लगाया गया है वर्तमान में बंद है, इसके अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 260 मीटर पर कच्चा रोड़ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न. 40 सरल क्रमांक 08 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 12,001 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष एवं मुरुम 3624 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.17लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम जगधर में स्थित चेक डैम का पंचायत के परामर्श से सौंदर्यीकरण करा जावेगा एवं उसके आस पास पौधरोपण करवाकर उनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग अथवा ट्री गार्ड लगवाए जावेंगे ।	60,000.

1. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, आवला, खमेर, चिरोल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल आदि ।	400
2.	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 280 मीटर तक (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू आदि ।	200
3	ग्राम जूनावानी के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, कटहल ,आवला करंज, आदि ।	50
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, संतरा निम्बू, कटहल आदि ।	1350
कुल			2000



**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

**14. Case No 9436/2022 Shri Arvind Sen, Owner R/o Gram Joba, Tehsil Lakhadon, District Seoni (MP)-480661, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (3000 Cum per year) (Khasra No. 88), Village - Joba, Tehsil - Lakhadon, Dist. Seoni (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 88), Village - Joba, Tehsil - Lakhadon, Dist. Seoni (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक अरविंद सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, मेसर्स अमलतास इवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम हरियाणा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में पूर्व उनके द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर को अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एकीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 07/11/22 को समाप्त हो चुकी थी और मेरे प्रोजेक्ट में बिलंब न हो, इस दृष्टिकोण से मेरे द्वारा मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स अमलतास इवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम हरियाणा से अनुबंध किया गया है, जिसकी सूचना सिया एवं सेक को दिनांक 30/11/22 को ई-मेल कर दिया गया है, जो प्रस्तुतीकरण में दिया गया है। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1787 दिनांक 03/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में माइन पिट हैं जबकि एकल प्रमाण पत्र में यह उल्लेखित है कि 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यहाँ आस-पास के लोगो द्वारा मिट्टी लिये जाने के कारण यह पिट बन गये हैं तथा हमे खदान जुलाई 2022 में स्वीकृत हुई है एवं हमारे द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया गया। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के पत्र क्रमांक 1791 दिनांक 03/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2021-22 में बनी है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया (उत्खनि पट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन — 3,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 08.08 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.78 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम जोबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, सीताफल, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु (जोबा)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत जोबा के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
6	ग्राम पंचायत जोबा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
कुल			1000

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

**15. Case No 9437/2022 Shri Vishnu Pratap Singh Bais, R/o Village Rampur Chaurasi, Post Ghandi Gram, Tehsil Raghurajnagar, District Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10000 Cum per year) (Khasra No. 491 P), Village - Rampur Chaurasi, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 491 P), Village - Rampur Chaurasi, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु प्रताप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1745 दिनांक 07/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर आबादी, 280 मीटर पर तथा दक्षिण दिशा में 12 मीटर पर कच्चा रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन के दौरान अनुमोदित खनन योजना अनुसार रॉक-ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा (ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी) तथा दक्षिण दिशा में स्थित कच्चा रोड़ उनके खनन क्षेत्र एवं आस-पास के खेतों का पहुच मार्ग है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्ताव ने बताया कि ये सभी पेड़ लीज के बैरियर जोन में आ रहे हैं अतः इन्हें काटा जाना प्रस्तावित नहीं है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1903 दिनांक 03/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022-23 में बनी है, जिसमें रामपुर चौरासी है। उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया (उत्खनि पट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन - 10,000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.29 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 03.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु.में)
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर चौरासी में 2 कम्प्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटर टेबल के साथ	60,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सुबबूल, महुआ, बबूल, सिस्सू, चिरोल, नीलगिरी, बांस, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, करंज, चिरोल, सिस्सू, काला सिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों में वितरण	आवंला, नीबू, सीताफल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	800
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर चौरासी की बाउंड्री वॉल की तरफ एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, अशोक, अमलतास, सफेद सिरस, कपोक, कचनार, चिरोल, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
कुल			2400

**16. Case No 9441/2022 Shri Santosh Sharma R/o Village Bhaluha, Tehsil Raipur Karchuliyan, District Rewa (MP)-486114, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4241 Cum per year) (Khasra No. 224/1kha/1, 224/1kha/3, 224/1kha/4, 224/1kha/6, 224/1kha/7, 224/1kha/11), Village - Ramnai, Tehsil - Raipur Karchuliyan, Dist. Rewa (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 224/1kha/1, 224/1kha/3, 224/1kha/4, 224/1kha/6,

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

224/1kha/7,m 224/1kha/11), Village - Ramnai, Tehsil - Raipur Karchuliyan, Dist. Rewa (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री संतोष शर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 959 दिनांक 20/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल को प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एकीकरण सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 03/10/22 को समाप्त हो चुकी है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मेसर्स फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एण्ड क्लाइमेंट चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रा.लि., भोपाल की वैधता 17/01/23 तक क्यू.सी.आई. के पत्र क्रमांक 2561 दिनांक 18/10/22 के माध्यम से बढ़ा दी गई है जो प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-79 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान बीच से खुदी हुई है, तथा इमेज देखने से प्रतीत होता है कि इस खदान में खनन कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र निजी भूमि है जिस पर अवैध खनन कार्य आस-पास के लोगो द्वारा किया जा रहा है तथा हमारे द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया गया है। इसी प्रकार आवंटित खनन क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 130 मीटर पर तथा दक्षिण पूर्व दिशा में खदान से लगे हुए क्षेत्र में खनन के प्रमाण गूगल इमेज से दृष्टिगत हो रहे हैं अतः समिति ने चर्चा कर यह निर्णय लिया कि उपरोक्त संदर्भ में संबंधित खनन अधिकारी/संक्षम प्राधिकारी से प्रतिवेदन/जानकारी प्राप्त कर प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाये।

**17. Case No 9444/2022 M/s Kushalguru Construction, House No. 55, Ward No. 02, Bada Bazar, Narshingarh District Rajgarh (MP)-465669, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (25137 Cum per year) (Khasra No. 627/1), Village - Khilchipur, Tehsil - Khilchipur, Dist. Rajgarh (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 627/1), Village - Khilchipur, Tehsil - Khilchipur, Dist. Rajgarh (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

आज दिनांक 08/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री विष्णु प्रताप सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 936 दिनांक 03/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 200 से 270 मीटर पर आबादी, 390 मीटर पूर्व दिशा में पक्का रोड़ तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 160 मीटर पर पॉवर ग्रिड स्थापित है। प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा जिला राजगढ़ के पत्र क्रमांक 936 दिनांक 03/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,137 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.48 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर में साइंस लैब का सामान	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सफेद सिरस, काला सिरस, सेमल, जामुन, सिस्सू, चिरोल, नीम, महुआ, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400

**610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 08 दिसम्बर 2022**

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों।	1000
4	शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर एवं शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिलचीपुर की बाउंड्री वॉल की तरफ एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों ट्री गार्ड के साथ	1200
<b>कुल</b>			<b>4800</b>

(चंद्र मोहन ठाकुर)  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.



## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.  
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be  $1/4^{\text{th}}$  or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - i. Minable Potential of sand mine.
  - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
  - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

### नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

### Annexure- 'C'

#### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
  15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
  16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
  17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
  18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
  19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
  20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
  21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
  22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - o. Minalable Potential of sand mine.
    - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

**नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

**नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

**नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

**नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

**नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

**नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.



## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 08 दिसम्बर 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

## 610वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 08 दिसम्बर 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained